कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश भोपाल
(शाखा- भू प्रबंध)

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-5/1161/E-0145/2025/ 169 दिनांक: ई साइन 21/02/2026

प्रेषक:-

एच. एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली-110003

विषय:- खरगोन जिले के बड़वाह वन मण्डल में इन्दौर- एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/ चौड़ीकरण हेतु 3.20 हेक्टेयर वनभूमि (पूर्व में आवेदित 4.138 हे.) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/ FP/MP/Road/152561/2022)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 15.11.2025

--0--

कृपया उपरोक्त ऑनलाईन आपत्ति का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 03 बिन्दु पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0	बिन्दु	प्रतिवेदन
i	In complince of the condition no. (v) of the Stage-I approval, the User Agency submitted that Animal Passage and mitigation plan is not required as no wildlife area is being affected with the proposal. However, the DFO vide letter dated 17.06.2025 requested to prepare the plan and submit the amount in online CAMPA. Further, the said specific condition was imposed in the Stage-I approval with the recommendation of the Advisory Committee. Accordingly, the State Government is requested to furnish the detailed Animal Passage and mitigation plan in consultation with the Chief Wildlife warden and the details of funds deposited in this regard.	वन मण्डलाधिकारी, बड़वाह ने अपने पत्र दिनांक 05.01.2026 से अवगत कराया है कि प्रकरण में कोई भी वन्यजीव क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहा है। पशु मार्ग एवं शमन योजना की आवश्यकता नहीं है। परिवेश पोर्टल 2.0 में भाग-2 में प्रविशिष्टि की गई है, छायाप्रति संलग्न है।

ii	The State Government has not submitted the Action Taken Report in view of violation carried out under section 3A/3B of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. Since the work has been carried out in violation by the user agency(Govt authority) theref may enquire the matter and take necessary action accordingly.	वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा 3ए एवं 3बी के तहत उल्लंघन के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है। इस संबंध में भारत सरकार को पूर्व में भी अवगत कराया गया है।
iii	In complince of the condition no. (xxxviii) of the Stage-I approval, the UA did not submit the undertaking. The same needs to be submitted by the User Agency.	भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क्रमांक (xxxviii) का आवेदक संस्थान से वचन पत्र प्राप्त कर संलग्न है।

अत: प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाहे अनुसार जानकारी की पूर्ति हो गई है, कृपया प्रकरण की औपचारिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

20/02/26

(एच.एस. मोहन्ता)

प्रतिलिपि:- क्रं./170 दिनांक 21/02/2026

1- उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त, खण्डवा, मध्यप्रदेश।

3- वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, बड़वाह, मध्यप्रदेश।

4- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, खण्डवा, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न. अनु.प्र. हेतु

Whatsapp dt. 20/02/2026

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बड़वाह, जिला – खरगोन (म.प्र.)

दूरभाष क्रमांक–कार्यालय–(07280) 222154 ई मेल dfotbwaha@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2026 / 54

प्रति,

बडवाह, दिनांक 05/01/2026

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध) वन भवन तुलसी नगर भोपाल म.प्र.

विषयः– खरगोन जिले के बडवाह वनमण्डल में इन्दौर–एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण / चौडीकरण हेतु 3.20 हेक्टेयर वनभूमि (पूर्व में आवेदित 4.138 हे.) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्र./FP/MP/ROAD/152561/ 2022)

संदर्भः– 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र दिनांक 08.07.2024

2. आपका का पत्र कमांक / एफ–5 / 1161 / E–0145 / 2025 / दिनांक 18.11.2025

3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, खण्डवा का पत्र कमांक / पकाई–खण्डवा / DH-BO / 1104 / 5342 दिनांक 02.12.2025

––––000––––

निवेदन है कि संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र दिनांक 08.07.2024 के द्वारा अधिरोपित शर्तो के अनुक्रम में इन्दौर–एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण / चौडीकरण के लिए वनमण्डल बडवाह की 3.20 हे. आरक्षित वनभूमि उपयोग की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

भारत सरकार द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 03 बिन्दुओं पर चाही गई जानकारी के संबंध में बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रेषित हैः–

क्र.	बिन्दु	विवरण
i	In Compliance of the condition no. (V) of tha stage-I approval, the User Agency submitted that Animal Passage and mitigation plan is not required as no wildlife area is being affectted with the proposal. However, the DFO vide letter dated 17-06-2025 requested to prepare the plan and submit the amount in online CAMPA Further, the said specific condition was imposed in the Stage-I approval with the recommendation of the Advisory Committee. Accordingly, the State Government is requested to furnish the detailed Animal Passage and mitigation plan in consultation with the Chief Wildlife warden and the details of funds deposited in this regard.	प्रकरण में कोई भी वन्यजीव क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहा है। इस संबंध में पशु मार्ग एवं शमन योजना की आवश्यकता नहीं है। परिवेश पोर्टल 2.0 में भाग–2 में प्रविष्टयां की गई है। (छायाप्रति संलग्न है।)
ii	The State Government has not submitted the Action Taken Report in view of violation carried out under section 3A/3B of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 Since the work has been carried out in violation by the user agency (Govt authority) thereof may enquire the matter and take necessary action accorgingly.	वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 की धारा 3A/3B के तहत किए गए उल्लंघन के संबंध में की गई कार्यवाही रिपोर्ट संलग्न है।
iii	In compliance of the condition no. (xxxviii) of the Stage-I approval, the UA did not submit the undertaking. The same needs to be submitted by the User Agency.	Undertaking attached as annexure-II

संलग्नः– उपरोक्तानुसार छायाप्रति।

(बालासुब्रमणी एन)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बडवाह
बडवाह, दिनांक 05/01/2026

पृष्ठां.क्रमांक / मा.चि. / 2026 / 55

प्रतिलिपिः–1. वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बडवाह

E/Hcl data/Indore-Edlabad/Letter 2022 (dhangaon)

0/c

Annexure-I

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : MP-042/2022

1. **Location of the project/Scheme :** Madhya Pradesh

   (i) **State / Union Territory :** Madhya Pradesh

   (ii) **District :** Khargaone,Khandwa

   (iii) **Forest Division :** Barwah(T),Khandwa(T)

   (iv) **Area of forest land proposed for diversion (in ha.) :** 3.2

   (v) **Category of the Proposal:** Road

2. **Legal status of forest land proposed for diversion**

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Barwah(T)	3.2	Reserved Forest
2	Khandwa(T)	0	Unclassed Forests
Total		3.2	

Division 1. : Barwah(T)

3. **District wise area to be diverted in the division**

S. No.	District	Area(ha.)
1	Khargaone	3.2
Total		3.2

4. **Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion**

   (i) **Density of vegetation**

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	3.2	0.2	Eco 5
Total.	3.2		

(ii) **Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL**

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Misc. Species	RINZA, HALDU, PALASH	11	38	12	3	0	0
Total			11	38	12	3	0	0
Sub Total (No of Trees.)			64					

5. **Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :** PLANTATION WORKING CIRCLE

6. **Brief note on vulnerability of the forest area to erosion :** NO

7. **Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) :** 0

8. **Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view**

   (i). **Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion :** NO

   (ii). **Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve,tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. :** No

   (iii). **Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ):** No

   (iv). **Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion :** No

   (v). **Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area :** No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any

   (i). **Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area :** No

...nment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion

(i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. **Details of violation(s), if any ,committed**

(i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : Yes

(a)Details of violation(s): NHAI PIU khnadwa start work witout proper permissi

(b) Period of Work done(year) : 2022

(c) Area of forest land involved in violation (in ha.) : 3.199

S. No.	Name of person responsible for violation	Designation & Address of person responsible for violation	Action taken against the person responsible for violation
1	shri rakesh yadav	senior manager kcc buildcon pvt com ltd khandwa	register por case enquiry in progress

12. **Whether work in violation is still in progres(Yes/No) :** No

13. **Details of compensatory afforestation scheme**

Patch wise details for Degraded Area (To be earmarked by DFO)

(i). Total Financial Outlay for C.A(lacs): 102.61

Patch Wise Details						
S.no	Patch No.	Area(ha.)	Name of PF/RF	Range	Compartment No	Uploaded KML file of patch
1	1	6.50	RF	Sanawad	291	View file

(ii). Copy of CA scheme details:

(iii). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station:

(iv). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.:

(V). Copy of NOC from Competent Authority :

Additional information Details

S. No.	Documents	Remarks
1		
2		
3		
4		OK
5		
6		OK
7		

Division 2. : Khandwa(T)

3. **District wise area to be diverted in the division**

S. No.	District	Area(ha.)
1	Khandwa	0
Total		0

4. **Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion**

(i) **Density of vegetation**

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	0	0	Eco 3
Total.	0		

(ii) **Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL**

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Tectona Grandis	teak	0	0	0	0	0	0
Total			0	0	0	0	0	0
Sub Total (No of Trees.)			0					

5. **Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :** NIL

6. **Brief note on vulnerability of the forest area to erosion :** No.

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 00

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view

(i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : nil

(ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve,tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No

(iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

(iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No

(v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any

(i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion

(i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed

(i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : NIL

13. Details of compensatory afforestation scheme

Patch wise details for Degraded Area (To be earmarked by DFO)

(i). Total Financial Outlay for C.A(lacs): 0.0

Patch Wise Details

S.no	Patch No.	Area(ha.)	Name of PF/RF	Range	Compartment No	Uploaded KML file of patch
NO Data						

(ii). Copy of CA scheme details:

(iii). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station:

(iv). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.:

(V). Copy of NOC from Competent Authority :

Additional Information Details

S. No.	Documents	Remarks
1		

14. District Profile

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Khargaone	6541.87	278885	2779.262	66	493.012	31/03/2022	493.012	0

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Barwah(T)	Khandwa(T)	DFO	Yes	One		26/09/2023

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed

					View Form A Part II	
(T)	Khandwa(T)	DFO	Recommended	Recommended for provide advance facility to public. But NHAI start work without proper permission from GOI So forest offence case no 3605/21 dated 26/02/2022 is registered against NHAI contractor. I suggest penalty for violation as per rule. I am proposingh double area plantation scheme.		
Khandwa(T)	Khandwa(T)	DFO	Recommended	Recommended		
	Khandwa(T)	CF	Recommended	recommended		Yes
		Nodal Officer	Recommended	Recommended		

Specific recommendation of the State Government(Part V)

17. **Specific recommendation of the State Government for acceptance or otherwise of the proposal with reason (Part V)**

State	Recommendation By	Recommendation	Recommendation Date	Remarks	Signing Authority	Notification	Recommendation Letter
Madhya Pradesh	State Secretary	Recommended	19/09/2022		State Govt. Officer	No Data	

17.

Stage-I Clearance Report

Regional Office	Recommendation By	MoEF File No.	Date of Stage-I Clearance	Clearance Letter
Bhopal	Regional Office	6-MPB031/2022-BHO	08/07/2024	

18. **Payment made by User Agency**

Proposal No.	Application No.	Total Amount (Rs.)	Recieved Amount (Rs.)	Transaction Date	Transaction ID	Bank Name	Mode of Payment	Demmand Generated By User Agency	Demmand Verified By Nodal Officer	Upload Deman Letter
FP/MP/ROAD/152561/2022	ROAD1525612022457	18,389,376.00	18,389,400.00	29/09/2024	RBI2682411071783	Union Bank Of India	NEFT/RTGS (Challan)	NA	NA	
FP/MP/ROAD/152561/2022	ROAD1525612022630	11,200,872.00	1,120,090.00	11/02/2025	IBKL250211156244	Union Bank Of India	NEFT/RTGS (Challan)	03/02/2025	03/02/2025	
FP/MP/ROAD/152561/2022	ROAD1525612022630	11,200,872.00	10,080,800.00	27/02/2025	IBKL250227769747	Union Bank Of India	NEFT/RTGS (Challan)	NA	NA	
FP/MP/ROAD/152561/2022	ROAD1525612022233	905,630.00	905,630.00	24/07/2025	IBKLR9202507250036686	Union Bank Of India	NEFT/RTGS (Challan)	11/07/2025	11/07/2025	

19. **Uploaded Status of Land to be transferred to Forest Department under FCA (Mutation Details) :** No

20. **Mutation Details Verified By Nodal Officer**

Proposal No.	Verified Date	Mutation Letter	Remarks
FP/MP/ROAD/152561/2022	03 Mar 2025	No Data	verify

21. **Compliance Details Submitted by User Agency**

Proposal No.	Compliance Details submitted on(Date)	Uploaded Letter
FP/MP/ROAD/152561/2022	03 Mar 2025	

22. **Compliance Details Verified by Nodal Officer**

Proposal No.	Remarks	Verified Date	Uploaded Letter
FP/MP/ROAD/152561/2022		07 Mar 2025	

...ge-II Clearance Details

Proposal No.	Date of Stage-II Clearance	Proposal Status	Clearance Letter
FP/MP/ROAD/152561/2022		Approved In-Principle	No Data

Print

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बडवाह, जिला खरगोन, म.प्र.

क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 5877 बड़वाह, दिनांक 18/08/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध), मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :– खरगोन एवं खण्डवा जिले में इन्दौर–एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण / चौडीकरण हेतु बडवाह वनमण्डल की 3.20 हेक्टेयर वनभूमि एवं खण्डवा वनमण्डल की 0.477 हेक्टेयर वनभूमि तथा 0.461 हेक्टैयर राजस्व वनभूमि कुल 4.138 हेक्टैयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबद्।

संदर्भः– 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / 6–MPB 031/2022-BHO/ दिनांक 11.05.2023
2. आपका पृष्ठांकन कमांक / एफ–5 / 1161 / 2022 / 10–11 / 1914 भोपाल, दि. 12.05.2023

----000----

निवेदन है कि, विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त खरगोन एवं खण्डवा जिले में इन्दौर–एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण / चौड़ीकरण हेतु बड़वाह वनमण्डल की कक्ष कमांक 291 रकबा 3.20 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग पर देने के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई बिन्दु कमांक–02, 03 एवं 05 की जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

अ.क्र.	बिन्दु	उत्तर
2	As per proposed area ($22^0$3'19.26- N,$76^0$7'43.57–E) in sanawad range. It appears that approx.. 934 meter the road already constructed. It shall be clarified.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण खण्डवा के द्वारा वनक्षेत्र में मिट्टी मुरूम डालने की सूचना मिलने पर तत्काल ही अगले दिन दिनांक 26.02.2022 को उप वनमण्डलाधिकारी बडवाह द्वारा मौके पर परिक्षेत्र सनावद कक्ष कमांक 291 में प्रस्तावित क्षेत्र, जीपीएस रीडिंग $22^0$3'19.26- N, $76^0$7'43.57 –E लगभग लम्बाई 945 मीटर एवं औसत चौडाई 33.86 मीटर में पूर्व से निर्मित खण्डवा इन्दौर मार्ग के किनारे झाडी झुण्डी सफाई कर मुरम मिट्टी डालकर सड़क निर्माण कार्य पाये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी सनावद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई। दिनांक 10.03.2022 एन.एच.ए.आई. खण्डवा के श्री सत्यम चौरसिया साईट इंजिनियर ठेकेदार, श्री संदीप शुक्ला पिता श्री सत्यनारायण शुक्ला के.सी.सी. बिल्डकॉन प्रा.लि. एवं सुनिल कुमार पाण्डेय, रेसीडेन्ट इंजिनियर की उपस्थिति मे कक्ष कमांक 291 का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था। जिसके कुछ समय पूर्व ही एन.एच.ए.आई. खण्डवा के द्वारा उक्त अवैध कार्य संज्ञान में आने पर परिक्षेत्र अधिकारी सनावद के द्वारा एन.एच.ए.आई. खण्डवा के ठेकेदार के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण कमांक 3605 / 22 दिनांक 26.02.2022 पंजीबद्ध किया गया। ठेकेदार द्वारा जो झाडी झुण्डी काटी गई थी, उस राशि से दुगुनी राशि 37500 / – डी.डी. कमांक 007939 दिनांक 18.05.2022 एवं राशि रूपये 5373 / – डी.डी. कमांक 223855 दिनांक 05.07.2022 से कुल राशि 42873 / – वसूल की जाकर वनमण्डलाधिकारी बडवाह के आदेश कमांक 2022 / 295 दिनांक 28.07.2022 से प्रकरण अभिसंधानित किया गया। दिनांक 26.02.2022 को वन अपराध प्रकरण कायम करने की दिनांक से आज दिनांक तक मौके पर यथास्थिति है, उसके पश्चात एन.एच.ए.आई. खण्डवा के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया।
3	In the proposed Khandwa range area, a building has been constructed (Cordinate ($21^0$53'27.22"-N,$76^0$10'57.22"E) on the proposed route. It shall be clarified.	जीपीएस रीडिंग ($21^0$53'27.22"- N, $76^0$10'57.22" –E) वनमण्डल के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, सामान्य वनमण्डल खण्डवा के क्षेत्र अंतर्गत है।

2/c

5	Since violation has been reported, a detailed report in accordance with clause 1.21 of FCA guidelines needs to be submitted. W.r.t. Extent/area of violation. Date of reporting of violation. Date when cognizance/ action was taken. Authority on whose orders violation was committed. Action taken Report Shall be submitted.	वन परिक्षेत्र सनावद कक्ष कमाक 291 में प्रस्तावित क्षेत्र लगभग लम्बाई 945 मीटर एवं औसत चौडाई 33.86 मीटर कुल रकबा 3.199 हे. में पूर्व से निर्मित खण्डवा इन्दौर मार्ग के किनारे झाडी झुण्डी सफाई कर, मुरूम मिट्टी डालकर भारत सरकार की अनुमति के बिना सडक निर्माण किया गया। जिसका वन अपराध प्रकरण कमांक 3605/22 दिनांक 26.02.2022 पंजीबद्ध किया गया। कुल राशि 42873/- वसूल की जाकर वनमण्डलाधिकारी बडवाह के आदेश कमांक 2022/295 दिनांक 28.07.2022 से प्रकरण अभिसंधानित किया गया। दिनांक 26.02.2022 को मौके पर परिक्षेत्र सनावद कक्ष कमांक 291 में प्रस्तावित क्षेत्र, लगभग लम्बाई 945 मीटर एवं औसत चौडाई 33.86 मीटर में पूर्व से निर्मित खण्डवा इन्दौर मार्ग के किनारे झाडी झुण्डी सफाई कर मुरम मिट्टी डालकर सडक निर्माण कार्य पाये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी सनावद के पत्र कमांक/300 दिनांक 11.03.2022 एवं उप वनमण्डलाधिकारी बडवाह के पृष्ठांकन कमांक/2021/715 दिनांक 23.03.2022 के द्वारा वनमण्डलाधिकारी बडवाह को एन.एच.ए.आई. खण्डवा के द्वारा बिना अनुमति कार्य करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। वनमण्डलाधिकारी बडवाह के पत्र कमांक/मा.चि./2022/7744 बडवाह, दिनांक 14.09.2022 के द्वारा फॉरेस्ट कन्जर्वेसन एक्ट 1980 के उल्लंघन के संबंध में संक्षेपिका तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल को प्रेषित की गई। (छायाप्रति संलग्न) **Details of Violation** – भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के अंतर्गत प्रकरण कायम कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-3(A) के तहत एन.एच.ए.आई. कियान्वयन इकाई खण्डवा जिम्मेदार होने पर तथा भारत सरकार की अनुमति के बिना परिक्षेत्र सनावद के कक्ष कमांक 291 में लगभग लम्बाई 945 मीटर एवं औसत चौडाई 33.86 मीटर में पूर्व से निर्मित खण्डवा इन्दौर मार्ग के किनारे झाडी झुण्डी सफाई कर मुरम मिट्टी डालकर सडक मार्ग निर्माण कार्य पाये जाने पर नियमानुसार वन अपराध प्रकरण कायम किया जाकर वनमण्डलाधिकारी बडवाह के आदेश क्र. /2022/295 दिनांक 28.07.2022 से प्रकरण अभिसंधानित किया गया। तथा कुल राशि 42873 वसूल की गई। वन संरक्षण नियम 2003 अतर्गत दिये गये दिशानिर्देश के अनुसार 1.21 (ii) जहां वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विचाराधीन है एवं वनक्षेत्र में बिना सैद्धांतिक/औपचारिक अनुमति के कार्य प्रारंभ किया गया है वहां आवेदक संस्था पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना है। अतः वन संरक्षण 1980 की धारा -2 के तहत वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण मे आवेदक संस्था एन.एच.ए. आई. द्वारा प्रस्तावित वनभूमि 3.20 हेक्टेयर के दुगुने क्षेत्र 6.40 हेक्टेयर पर दण्डात्मक वृक्षारोपण (Penal Afforatation) हेतु राशि प्रस्तावित की गई है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा -3(B) के तहत कोई भी अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार/दोषी नहीं है क्योंकि इनके द्वारा अवैध कार्य संज्ञान में आने पर तत्काल सूचना दी गई एवं नियमानुसार कार्यवाही की गई।

संलग्न :- पत्र कमांक/7744 दि. 14.09.2022 की छायाप्रति।

(अनुराग तिवारी)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बड़वाह

पृष्ठां. क्रमांक/मा.चि./2023/5878 बडवाह, दिनांक 18/05/2023
प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
संलग्न :- पत्र कमांक/7744 दि. 14.09.2022 की छायाप्रति।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बड़वाह

कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी, उप वनमण्डल बडवाह, जिला खरगोन, म.प्र.

क्रमांक / 2023 / 1976

बडवाह, दिनांक 23.06.2023

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी महोदय,

सामान्य वनमण्डल बडवाह

द्वारा :- खरगोन एवं खण्डवा जिले में इन्दौर एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण / चौडीकरण हेतु बडवाह वनमण्डल की 3.20 हे. वनभूमि एवं खण्डवा वनमण्डल की 0.477 हे. वन भूमि तथा 0.461 हे. राजस्व वनभूमि कुल 4.138 हे. वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत्।

विषय :- आपका पत्र कमांक / माचि / 2023 / 3719 दिनांक 08.06.2023

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र से प्राप्त भारत सरकार के पत्र दिनांक 11.05.2023 में बिन्दु कमांक 02, 03 एवं 05 की जानकारी का प्रतिवेदन अद्यतन स्थिति में मौका जांच किया जाकर निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु कमांक-02 (1)- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण खण्डवा के द्वारा वनक्षेत्र में मिट्टी मुरम डालने की सूचना मिलने पर तत्काल ही अगले दिन दिनांक 26.02.2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मौके पर परिक्षेत्र सनावद कक्ष कमांक 291 में प्रस्तावित क्षेत्र जीपीएस रीडिंग $22^0$3'19.26''-N, $76^0$7'43.57''-E, लगभग लम्बाई 945 मीटर एवं औसत चौडाई 33.86 मीटर में पूर्व से निर्मित खण्डवा इन्दौर मार्ग के किनारे झाडी झुण्डी सफाई कर मुरम मिट्टी डालकर सडक मार्ग निर्माण कार्य पाये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी सनावद को वन अपराध प्रकरण कायम कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।

दिनांक 10.03.2022 एन.एच.ए.आई. खण्डवा के श्री सत्यम चौरसिया, साईट इंजिनियर ठेकेदार, श्री संदीप शुक्ला पिता श्री सत्यानारायण शुक्ला, के.सी.सी. बिल्डकॉन प्रायवेट लिमिटेड एवं सुनिल कुमार पाण्डेय, रेसीडेन्ट इंजिनियर की उपस्थिति में कक्ष कमाक 291 का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था। जिसके कुछ समय पूर्व ही एन.एच.ए.आई. खण्डवा के द्वारा मौके पर एन.एच.ए.आई. खण्डवा के द्वारा उक्त अवैध कार्य संज्ञान में आने पर परिक्षेत्र अधिकारी सनावद के द्वारा एन.एच.ए.आई. खण्डवा के ठेकेदार के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3605/22 दिनांक 26.02.2022 पंजीबद्ध किया गया। ठेकेदार द्वारा जो झाडी झुण्डिया काटी गई थी, उस राशि से दुगुनी राशि 37500/- डी.डी. कमांक 007939 दिनांक 18.05.2022 एवं राशि रूपये 5373/- डी.डी. कमांक 223855 दिनांक 05.07.2022 से कुल राशि 42873 वसूल की जाकर वनमण्डलाधिकारी बडवाह के आदेश कमांक 2022/295 दिनांक 28.07.2022 से प्रकरण अभिसंधानित किया गया।

(2) दिनांक 26.02.2022 को वन अपराध प्रकरण कायम करने की दिनांक से आज दिनांक तक मौके पर यथास्थिति है, उसके पश्चात एन.एच.ए.आई. खण्डवा के द्वारा कोई भी कार्य नही किया गया।

बिन्दु कमांक–03 (1)– जीपीएस रीडिंग – 21°53'27.22''–N, 76°10'57.22''–E वनमण्डल के अधिकार क्षेत्र में नही है, सामान्य वनमण्डल खण्डवा के क्षेत्र अंतर्गत है।

बिन्दु कमांक–05 (1)– परिक्षेत्र सनावद कक्ष कमांक 291 में प्रस्तावित क्षेत्र लगभग लम्बाई 945 मीटर एवं औसत चौडाई 33.86 मीटर कुल रकबा 3.199 हेक्टैयर में पूर्व से निर्मित खण्डवा इन्दौर मार्ग के किनारे झाडी झुण्डी सफाई कर मुरम मिट्टी डालकर भारत सरकार की अनुमति के बिना सडक मार्ग निर्माण किया गया। जिसका वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3605/22 दिनांक 26.02.2022 पंजीवद्ध किया जाकर कुल राशि 42873 वसूल की जाकर वनमण्डलाधिकारी बडवाह के आदेश कमांक 2022/295 दिनांक 28.07.2022 से प्रकरण अभिसंधानित किया गया।

(2) दिनांक 26.02.2022 को मौके पर परिक्षेत्र सनावद कक्ष कमांक 291 में प्रस्तावित क्षेत्र लगभग लम्बाई 945 मीटर एवं औसत चौडाई 33.86 मीटर में पूर्व से निर्मित खण्डवा इन्दौर मार्ग के किनारे झाडी झुण्डी सफाई कर मुरम मिट्टी डालकर सडक मार्ग निर्माण कार्य पाये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी सनावद के पत्र कमांक/300 दिनांक 11.03.2022 एवं उप वनमण्डलाधिकारी बडवाह के पृष्ठा कमांक/2021/715 दिनांक 23.03.2022 के द्वारा वनमण्डलाधिकारी बडवाह को एन.एच.ए.आई. खण्डवा के द्वारा बिना अनुमति के कार्य करने के संबंध में लेख (Date of Reporting of Violation) किया गया।

(3) उप वनमण्डलाधिकारी बडवाह के पत्र कमांक/2365 दिनांक 09.09.2022 से एन.एच.ए.आई. खण्डवा के विरूद्ध की गई कार्यवाही की बिन्दुवार संक्षेपिका तैयार कर प्रेषित की गई थी। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

<u>Details of Violation</u> – भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के अंतर्गत प्रकरण कायम कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–3(A) के तहत एन.एच.ए.आई. कियान्वयन इकाई खण्डवा जिम्मेदार होने पर तथा भारत सरकार की अनुमति के बिना परिक्षेत्र सनावद के कक्ष कमांक 291 में लगभग लम्बाई 945 मीटर एवं औसत चौडाई 33.86 मीटर में पूर्व से निर्मित खण्डवा इन्दौर मार्ग के किनारे झाडी झुण्डी सफाई कर मुरम मिट्टी डालकर सडक मार्ग निर्माण कार्य पाये जाने पर नियमानुसार वन अपराध प्रकरण कायम किया जाकर वनमण्डलाधिकारी बडवाह के आदेश कमांक 2022/295 दिनांक 28.07.2022 से प्रकरण अभिसंधानित किया गया। तथा कुल राशि 42873 वसूल की गई तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के तहत वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में आवेदक संस्था एन.एच.ए.आई. द्वारा प्रस्तावित वनभूमि 3.20 हेक्टैयर के दुगने क्षेत्र दण्डात्मक वृक्षारोपण (Penal Afforatatation) की राशि प्रस्तावित की गई है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–3(B) के तहत कोई भी अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है क्योंकि इनके द्वारा अवैध कार्य संज्ञान में आने पर तत्काल सूचना दी गई एवं नियमानुसार कार्यवाही की गई। इसलिए कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

संलग्नः– पत्र कमांक/2365 दिनांक 09.09.2022 की छायाप्रति।

(विजय गुप्ता)
उप वनमण्डलाधिकारी
सामान्य उपवनमण्डल बड़वाह

वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल बड़वाह

प्रकरण का संक्षिप्त विवरणः—

1	वन परिक्षेत्र/बीट का नाम	रेंज सनावद बीट बकूद
2	रेंज केस क्रमांक	02/2022
3	वन अपराध प्रकरण क्रमांक	3605/22 दिनांक 26.02.2022
4	अपराधी का नाम एवं पता	राकेश पिता अभीलाल यादव सीनीयर मैनेजर के.सी.सी बिल्डकोन प्रा.लि. निवासी डाडा फतेहपुर झूझनू राजस्थान
5	ठूंठ संख्या एवं कीमत	अरकाट ठूंठ 56 नग, राशि 15541.00
6	जप्त वनोपज एवं कीमत	1/2 चट्टा जलाऊ लकड़ी राशि 1250
7	वन अपराध में जप्त अन्य सामग्री	--- निरंक ---
8	ठूंठवार गणना करने पर पाई गई शुद्ध हानि	14291
9	जप्त वनोपज का निवर्तन	कार्टिंग चालान क्रमांक 82/09 दिनांक 12.06.2022 से काष्ठागार सनावद परिवहन की गई।
10	वन अपराध में प्रयुक्त सामग्री का निवर्तन	--- निरंक ---
11	वसूली (बैंकड्राफ्ट क्रमांक/दिनांक/राशि)	बैंक में डी.डी. क्रमांक 007939 दिनांक 18.05.2022 से राशि 37500/— एवं डी.डी. क्रमांक 223855 दिनांक 05.07.2022 से राशि 5373/— वसूल कर खजाना दाखिल किया गया।
12	वन परिक्षेत्र अधिकारी की टीप	वसूली पूर्ण होने के कारण पत्र क्रमांक 622 दिनांक 20.06.2022 से शुद्ध हानि राशि निरंक होने से प्रकरण खारिज करने की अनुशंसा की गई।
13	उपवनमण्डलाधिकारी की टीप	वसूली पूर्ण होने के कारण पत्र क्रमांक 1681 दिनांक 15.07.2022 से शुद्ध हानि राशि निरंक होने से प्रकरण खारिज करने की अनुशंसा की गई।
14	वनमण्डल कार्यालय का सी.सी. नम्बर	119/2022

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 एवं वन वित्तीय नियम धारा 61 में प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुये प्रकरण में निम्नानुसार आदेश देता हूँ कि —

//आदेश//

आदेश क्रमांक/2022/ 295 बड़वाह, दिनांक 28.7.2022

वन. अपराध प्रकरण क्रमांक 3605/22 दिनांक 26.02.2022 में अपराधी राकेश पिता अभीलाल यादव सीनीयर मैनेजर के.सी.सी. बिल्डकोन प्रा.लि. निवासी डाडा फतेहपुर झूझनू राजस्थान से जप्त वनोपज के दुगने मुल्य की राशि 42873/— मावजा के रूप में की गई वसूली को मान्य कर प्रकरण खारिज किया जाता है तथा प्रकरण में जप्त वनोपज को शासकीय सम्पत्ति घोषित की जाती है।

(एम.वी. सिरसैया)
वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बड़वाह

पृ0क्र0/व.अ./2022/ 5630 बड़वाह, दिनांक 28.7.2022

प्रतिलिपि:—

1. उप वनमण्डलाधिकारी बड़वाह की ओर पत्र क्रमांक 1681 दिनांक 15.07.2022 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी सनावद की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। वन अपराध पंजी में प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :— मूल प्रकरण

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बड़वाह

सत्य-प्रतिलिपि

उपवनमण्डलाधिकारी
बड़वाह

Annexure-II

UNDERTAKING-(XXXVIII)

It is certified, that "I/We further undertake that all the conditions, restrictions, and directions mentioned in the said approval will be strictly followed. In case of any violation or non-compliance of these conditions, trust shall be held responsible and shall abide by any legal action taken by the Government of India/State Government in this regard.".

This undertaking is in reference to the work for the "Diversion of forest land 3.20 ha (earlier proposed 4.138 ha) reserve forest land for construction and widening of Indore to Edlabad NH 347 BG & 753L , 4- Laning road (Dhangaon to Boregaon Section) in favour of project director, NHAI in Khargone district of Madhya Pradesh".

Resident Engineer
L. N Malviya Infra Proj. Pvt. Ltd
Pkg-IV, Khandwa

LION ENGINEERING CONSULTANTS PRIVATE LIMITED * BHOPAL

उप. प्रबंधक (तकनीकी) Dy.Manager(Tech.)
भा.रा.रा.प्रा. NHAI
प.का.इ.-खंडवा / PIU-Khandwa

" Project Director
NHAI
PIU Khandwa "